


(2)

R 1473 PBH 7



चंदनसिंह उम्र करीब 54 वर्ष आ. गौरीशंकर  
निवासी फौजदार कॉलोनी रसूलिया होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद ..... आवेदक  
विरुद्ध

1. अनौखेलाल राजोरिया आ. तीरालाल राजोरिया  
निवासी आई.टी.आई. रोड, शिव मंदिर के पास, होशंगाबाद  
तह. व जिला होशंगाबाद
2. श्रीमती गीता बाई पत्नि स्व. अर्जुनसिंह राजपूत
3. कु. साधना आ. स्व. अर्जुनसिंह राजपूत
4. कु. प्रिया आ. स्व. अर्जुनसिंह राजपूत  
निवासी डोंगरवाड़ा तह. व जिला होशंगाबाद ..... उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 278/पी/2009-10 चंदनसिंह विरुद्ध अनौखेलाल में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 जो कि अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा रा.प्र.क्र. 11/अप्रैल/2006-07 चंदनसिंह विरुद्ध अनौखेलाल में पारित आदेश दिनांक 11.03.2008 तथा तहसीलदार महोदय होशंगाबाद के रा.प्र.क्र. 118 अ/6 वर्ष 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2006 से उत्पन्न हुआ के विरुद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है :-

— — —

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1473—पीबीआर/17

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

26-12-2017

आवेदक चन्दन सिंह अपने अभिभाषक श्री मेघदीप गौर सहित उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। अतः आवेदक द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष